तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स, जज अपील 01/2021 धीमाराम वगै. बनाम तहसीलदार गुडामालानी वगै	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 17.08.2022

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री खेताराम सैन
2. विप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से श्री हरीराम चौधरी राजकीय अभिभाषक उप.।
3. विप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री गंगाराम विश्नोई

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 12.07.2019 को अपीलांट अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण श्रीमान न्यायालय में पैरवी हेतु हाजिर नहीं हो सके तथा अपीलांट ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति होने से पेशी तारीख की जानकारी न होने से उपस्थित नहीं हो सके थे। प्रत्येक मामले को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए तथा प्रतयेक पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है। उक्त प्रकरण पिछली पेशी पर ही हाजा न्यायायल द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है तथा जिसका न्यायहित में सुना जाना अति आवश्यक है। अतः धारा 05 का आवेदन स्वीकार करते उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय भूमि है जिस पर अपीलांटगण का कोई हक नियत नहीं है। अपीलांटगण को हाजा न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके बावजूद भी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तो भारी कॉस्ट के साथ स्वीकार फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता विप्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण सरकारी भूमि को हडपने के लिए अपील एवं आवेदन पर आवेदन पेश कर रहे है। प्रार्थी ने अपनी प्लीडिंग में अपील को सहवन से खारिज करना दर्शाया है जबकि अपीलांट अधिवक्ता स्वयं न्यायालय में हाजिर नहीं होने के कारण खारिज की गई। हस्तगत आवेदन मियाद बाहर पेश किया गया। अपीलांट की गलती पर नरमी नहीं बरती जाकर आवेदन को इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपील प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण तकनीकी विंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार कियां जाता है तथा अपील को पुनः पुराने नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश दिनांक 17.08.2022 को सुनाया गया।

(प्रविष्टा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर